न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एरा.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड,आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत रा.लो.अ. अटल सेवा केन्द्र आमलारी

रा.प्रा.पत्र संख्या 55/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
रूपाराम पुत्र गलबाजी जाति बंदारा आयु व्यस्क निवासी आमलारी तहसील व जिला सिरोही		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :—

1— प्रार्थी की ओर से वकील श्री पदमाराम चौहान
2— अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने

निर्णय दिनांक 13—6—2018

प्रार्थी ने जरिये वकील यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,सिरोही का बाबत राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दिनांक 12—1—2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त हक अधिकार की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मौजा आमलारी पटवार हल्का आमलारी तहसील व जिला सिरोही मे आई हुई है जिसका बंदोवस्त से पूर्व जमाबंदी संवत 2050 से 2053 पुराना खसरा नंबर 353 रकबा 03 बीघा 13 विस्वा,खसरा नंबर 659/2 रकबा 01 बीघा 10 विस्वा कुल रकबा 05 बीघा 03 विस्वा था जो बंदोवस्त के पश्चात नया खसरा नंबर 510 रकबा 0.5900 हेक्टेयर व खसरा नंबर 953 रकबा 0.2400 हेक्टेयर कुल रकबा 0.8300 हेक्टेयर है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर राजस्व कर्मचारियों पटवारी द्वारा आगामी जमाबंदी तैयार करते समय भूल से त्रुटि पूर्ण नाम अंकित किया गया है जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे संवत 2050 से 2053 मे प्रार्थी की खातेदारी मे नाम हिरा,रूपा पि. गलबा जाति बंदारा सा.देह खातेदार था जो प्रार्थी के भाई हिरा फौत होने से हिरा पुत्र गलबा के उत्तराधिकारियों का नामामान्तकरण दर्ज हुआ जो जमाबंदी संवत 2050 से 2053 मे प्रार्थी का नाम रूपा पि. गलबा बंदारा सही दर्ज था जो जमाबंदी तैयार करते वक्त भूलवंश गलबा के स्थाान हिरा गलत दर्ज हुआ है जो एक लिपिकिय त्रुटि है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा आमलारी पटवार हल्का आमलारी तहसील व जिला सिरोही के नया खसरा संख्या 510,953 मे प्रार्थी का नाम रूपा पि. हिरा के स्थान/जगह रूपा पि. गलबा कौम बंदारा दर्ज कर शुद्विकरण करवाने का आदेश प्रदान करना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फोर्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न राजस्व रेकर्ड वादग्रस्त कृषि भूमि की मोजा आमलारी तहसील व जिला सिरोही की जमाबंदी संवत 2050 से 2053 खाता नंबर 359 जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खाता नंबर 407 जमाबंदी संवत 20.61 से 2064 खाता नंबर 364 का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 12—1—2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को वास्ते जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

आज दिनांक 13—6—2018 को विचारण प्रकरण की यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र आमलारी मे मेरे समक्ष पेश हुई । प्रार्थी को जारी नोटिस तामिल तामिल प्राप्त होने से शामिल मिसल किया । सुनवाई के दौरान

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page No2

की ओर से तहसीलदार-सिरोही द्वारा जवाब पेश करने से शामिल मिसल किया गया । दौराने सुनवाई प्रार्थी व वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार-सिरोही द्वारा बहस करने से बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी न अपनी बह समे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये संबंधित पूर्व पटवारी हल्का आमलारी की लापरवाही की वजही से वर्तमान जमाबंदी मे गलत दर्ज नाम रूपा पि. हिरा के स्थान पर रूपा पि. गलबा कौम बंदारा दर्ज कर शुद्विकरण करवाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार-सिरोही ने अपनी बह समे जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम आमलारी पटवार हल्का आमलारी मे खसरा नंबर 510-953 कुल किता 2 कुल रकबा 0.83 हेक्टेयर सतीबाई बेवा हीरा शान्तीलाल केसरीमल पि. हीरा रूपा वल्द हीरा जाति बंदारा सा.देह खातेदार के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज हैं मिलान क्षैत्रफल के अनुसार नये खसरा नंबर 510-953 के पुराने खसरा नंबर 353 तथा 659/2 है। उक्त प्रकरण मे निवेदन है कि जमाबंदी संवत 2050 से 2053 मे हीरा रूपा पि. गलबा जाति बंदारा के नाम से खातेदारी दर्ज थी । जिसके खसरा नंबर क्रमशः 353-659/2 668/2 तथा 871/1 है। वर्तमान जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के अनुसार खसरा नंबर 510 व 953 है जिसके पुराने खसरा नंबर 353 व 659/2 है। जमाबंदी संवत 2050 से 2053 मे दर्ज खातेदार हीरा पुत्र गलबा की फौत होने से तत्कालीन पटवारी द्वारा नामान्तकरण रांख्या 999 के जरिये विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया जिसके अर्न्तगत हीरा पुत्र गलबा के स्थान पर उनके वारीसदारों के नाम सतीबाई बेवा हीरा शान्तिलाल केसरीमल पि. हीरा का नाम दर्ज किया गया । उक्त मे रूपा पि. गलबा नाम से कोई परिर्वितन नही होना चाहिये था लेकिन लिपिकिय त्रुटिवश हीरा पि. गलबा के वारिसदारों के नाम लिखते समय रूपा पि. गलबा के स्थान पर त्रुटिवश रूपा पि. हीरा दर्ज किया गया जो कि एक लिपिकिय गलती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि गलत नाम रूपा पि. हीरा के स्थान पर सही नाम रूपा पि. गलबा नाम दर्ज किया जाना उचित है।

प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड मे गलत नाम रूपा पि. हीरा राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की बिना जांच किये उनकी लापरवाही के कारण राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ है इसमे प्रार्थी की कोई गलती नही है। उक्त राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के नाम की त्रुटि हुई है उक्त त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की तारीफ मे आने से दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।तथा प्रार्थी को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान के साथ साथ सरकारी कार्य व योजनाओं का लाभ लेंने से वंचित रह जायेगा । अतः जमाबंदी संवत 2050 से 2053 मे दर्ज खातेदार हीरा पुत्र गलबा की फौत होने से तत्कालीन पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 999 के जरिये विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया जिसके अर्न्तगत हीरा पुत्र गलबा के स्थान पर उनके वारीसदारों के नाम सतीबाई बेवा हीरा शान्तिलाल केसरीमल पि. हीरा का नाम दर्ज किया गया । उक्त मे रूपा पि. गलबा नाम से कोई परिर्वितन नही होना चाहिये था लेकिन लिपिकिय त्रुटिवश हीरा पि. गलबा के वारिसदारों के नाम लिखते समय रूपा पि. गलबा के स्थान पर त्रुटिवश रूपा पि. हीरा दर्ज किया गया जो कि एक लिपिकिय गलती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि गलत नाम रूपा पि. हीरा के स्थान पर सही नाम रूपा पि. गलबा नाम दर्ज किया जाना उचित है।अतः विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त तहसीलदार-सिरोही द्वारा प्रस्तुत उक्त जवाब व राजस्व रेकर्ड की प्रतियों के आधार पर उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी तहसीलदार-सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार-सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि मौजा आमलारी पटवार हल्का आमलारी तहसील व जिला सिरोही मे स्थित कृषि आराजी नया खसरा नंबर 510-953 की वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थी का गलत दर्ज नाम रूपा पि. हिरा के स्थान पर सही नाम रूपा पि. गलबा दर्ज कर जमाबंदी अपडेट की प्रति एक सप्ताह मे इस न्यायालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । निर्णय राजस्व लोक अदालत/केम्पकोर्ट अटल सेवा केन्द्र आमलारी मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो

12/6/18
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

न्यायालय उप खण्ड ... सिरोही (राज०)